कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

पत्रांक– ..... दिनांक ...../2018

प्रेषक,

संजय दूबे, *भा0प्र0से0*
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा),
बिहार, पटना।

विषय :– **वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियाकलापों के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान उठायी गयी आपत्तियों के अनुपालन के संबंध में।**

प्रसंग :– **आपका पत्रांक LA/SS-1/Report/PA/ULB/SWM/155/198 DATED-16.10.2018**

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में कहना है कि वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियाकलापों के निष्पादन लेखापरीक्षा के दौरान उठायी गयी आपत्तियों का अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न कर भेजी जा रही है।

अनुलग्नक:– यथोक्त।

विश्वासभाजन

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

ज्ञापांक 2238/ मु0न0नि0, मुज0 दिनांक 14/12/2018

प्रतिलिपि :– ~~निदेशक, लेखा प्रशासन~~ विशेष सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(संजय दूबे)
नगर आयुक्त,
मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर।

कार्यालय, मुजफ्फरपुर नगर निगम, मुजफ्फरपुर

Web Site- https://nagarseva.bihar.gov.in/muzaffarpur/, E-mail ID-mmc-muz-bih@nic.in, muzaffarpur.ulb@gmail.com Fax No.-0621-2214506

वित्तीय वर्ष 2017–18 की अवधि में स्वच्छता और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन के क्रियाकलापों के निष्पादन लेखा परीक्षा के दौरान उठायी गयी आपत्तियों का जबाब के संबंध में।

पत्र संख्या / दिनांक	आपत्ति का सार	कार्यालय द्वारा प्रदत्त जवाब	टिप्पणी
सं0 स्था.ले.प. /सा. प्र.–03 दिनांक –12. 09. 2018	1. नगर निगम कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली 2014 के नियम 84 के अनुपालन में संरचनात्मक परिसम्पत्ति जैसे सड़क, पुल पुलिया, नाले इत्यादि का अभिलेखन वार्डवार क्यों नहीं संधारित किया गया है। 2. नगर निगम कार्यालय द्वारा नगर निगम क्षेत्र में सफाई कार्य के लिए समयावधि निर्धारण से संबंधित आदेश/नोटिफिकेशन क्यों नहीं निकाला गया? अगर जुलाई 2017 से अभी तक की अवधि तक की अवधि में इस संबंध में कोई आदेश /नोटिफिकेशन निकाला गया है तो कृप्या उसकी प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। 3. वार्डवार एवं सड़कवार सफाई मजदूरों के कार्य का रोस्टर क्यों नहीं बनाया गया है? नगर निगम कार्यालय द्वारा कैसे सुनिश्चित किया जाता है कि सभी प्रधान सड़कों का प्रतिदिन एवं अन्य सड़को तथा नालियों का साप्ताहिक साफ–सफाई मजदूरों द्वारा किया जा रहा है? 4. नगर निगम द्वारा स्थानीय नागरिक कल्याण संघों तथा गैर–सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ नियमित रूप से त्रैमासिक अंतराल पर बैठक कर नगर निगम के साफ–सफाई व्यवस्था तथा अपशिष्टों के निपटान का फिडबैक क्यों नहीं लिया गया? 5. नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष का बजट बनाने से पूर्व सर्वेक्षण के माध्यम से सेवाओं के वर्तमान स्थिति तथा वांछित सेवाओं का आकलन क्यों नहीं किया गया?	1. वार्डवार अभिलेख संधारित कर लिया जायेगा। 2. आदेश निर्गत है। अधिसूचना/आदेश की छाया प्रति संलग्न है। (परिशिष्ट 1 पट) 3. रोस्टर नहीं बनाया गया है, परन्तु प्रतिदिन नालियों एवं सड़को की सफाई की जाती है। रोस्टर तैयार कर तदनुसार सुझाव के अनुरूप कार्य किया जाएगा। 4. भविष्य में तदनुसार ध्यान देकर कार्य किया जाएगा। 5. बजट बनाने से पूर्व सर्वेक्षण हेतु आम सूचना निकाली गई थी। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 2 पट	
सं0 स्था.ले. प./सा. प्र.–04 दिनांक –12.09. 2018	अंकेक्षण में कृप्या स्पष्ट किया जाए कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 तथा बिहार नगरपालिका वार्ड समिति (सामुदायिक भागीदारी) नियमावली, 2013 के अनुपालन में वार्डों की समिति का गठन क्यों नही किया गया? साथ ही, यह भी बताया जाए कि बिहार नगरपालिका बजट मैन्यूल के अनुपालन में वार्ड के लोगों से वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में इनपुट क्यों नहीं प्राप्त किया गया? नगर निगम कार्यालय नागरिकों को दिये जाने वाले सेवाओं के गुणवत्ता तथ उन्हें वांछित सेवाओं का फिडबैक नगर निगम क्षेत्र के लोगों से कैसे लिया जाता है से कृप्या अंकेक्षण को अवगत कराया जाए।	वार्ड समिति के गठन की कार्रवाई की जाएगी। सुझाव के अनुसार वार्ड के लोगो से फिडबैक लेकर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।	

सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–05 दिनांक –12.09.2018	अंकेक्षण में कृप्या स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम कार्यालय, कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में शहरी पर्यावरण का प्रबंधन, पर्यावरण की गुणवता की माप, प्रदूषण स्तर के अनुश्रवण के लिए कोई व्यवस्थ क्यों नहीं की गयी तथा मुख्य नगरपालिका पदाधिकारी द्वारा किसी भी वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलन में नगरपालिका क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थिति के संबंध में प्रतिवेदन तैयार कर बजट प्राक्कलन में संलग्न क्यों नहीं किया गया? साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि दूषित ठोस अपशिष्टों एवं मल जल के खूले में बहने तथा उसके जहॉ तहॉ जमा रहने से नगरवासियों के स्वास्थ्य पर पड़ने वाले जोखिम का मूल्यांकन नगर निगम कार्यालय द्वारा कैसे किया जाता है तथा उसके लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गये है?	पर्यावरण विभाग से पत्राचार किया जाएगा। उनके द्वारा प्राप्त निर्देश के आलोक में निर्णय लेकर तदनुसार कार्रवाई की जाएगी। ठोस अपशिष्ठों एवं मल जल खुले में प्रवाहित नहीं हो इसका यथा सम्भव प्रयास किया जाता है ताकि नगर वासियों के स्वास्थ्य पर असर न पड़ सके।
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–06 दिनांक–12.09.2018	ठोस अपशिष्ट मानव जनित होते हैं तथा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में इसमें वृद्धि होने की संभावना नगण्य है। अतः अंकेक्षण तें कृपया स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2014–15 से 2017–18 की अवधि में सृजित होने वाले प्रतिदिन 138 मेट्रिक टन ठोस अपशिष्टों का संग्रहण–उठाव एवं परिवहन किस आधार पर दर्शाया गया है तथा इसकी गणना कैसे की गयी है?	
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–07 दिनांक–13.09.2018	नगर निगम, मुजफ्फरपुर में वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में वार्ड समितियों का गठन नहीं किया गया था। अतः अंकेक्षण में कृप्या स्पष्ट किया जाए कि उपरोक्त नियमावली के आलोक में नगरपालिका बोर्ड का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया तथा इसके अभाव में मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्र के वार्डों में ठोस अपशिष्ट के प्रबंधन तथा वार्ड में स्वच्छता का कार्य पर्यवेक्षण कैसे किया गया एवं वार्ड के लिए आधारभूत संरचना का सूचकांक कैसे तैयार किया गया?	वार्ड समितियों के गठन की कार्रवाई की जाएगी। साफ–सफाई के लिए सभी अंचल के लिए जाँच दल का गठन किया गया है। छाया प्रति संलग्न। (परिशिष्ट 3 पर)
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–08 दिनांक–13.09.2018	अंकेक्षण में कृप्या बताया जए कि नगरपालिका लेखा समिति तथा विषय समितियों का गठन अभी तक क्यों नहीं किया गया तथा इसके अभाव में इन समितियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों का निष्पादन नगर निगम द्वारा कैसे किया गया?	समिति के गठन की कार्रवाई की जायेगी।
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–09 दिनांक–13.09.2018	अंकेक्षण में कृप्या स्पष्ट किया जाए कि व्यक्तिगत शौचालय निर्माण योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तर पर District level review and monitoring committee का गठन क्यों नहीं किया गया? साथ ही, यह भी बताया जाए कि इस योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा के लिए नगर निगम कार्यालय द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है तथा इससे संबंधित अभिलखों की कृपया अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए।	District level review and monitoring committee के गठन की कार्रवाई की जायेगी।
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–12 दिनांक–13.09.2018	अंकेक्षण में कृपया स्पष्ट किया जाए कि सरकार की अधिसूचना के आलोक में नगर निगम क्षेत्र के अन्तर्गत उपभोक्ता शुल्क की वसूली क्यों नहीं की जा रही है?	निगम बोर्ड की बैठक में दर तय कर वसूली की जायेगी।

सं0 स्था.ले.प. /सा.प्र.–14 दिनांक –14.09.2018	1. अप्रैल 2012 से सितम्बर 2014 की अवधि में किसी भी वार्ड में डोर–टू–डोर कूड़ा का उठाव का कार्य क्यों नहीं किया गया? 2. जब अगस्त 2015 से सभी वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा उठाव का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया था तथा इसके लिए प्रत्येक वार्ड में 12 मजदूरों को भी रखा गया था तो मार्च 2018 तक में भी छः वार्डों में डोर–टू–डोर कूड़ा उठाव का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा था? 3. प्रत्येक वार्ड में रखे गये 12 मजदूरों में से कितने मजदूरों को डोर–टू–डोर कचरा संग्रहण का कार्य दिया गया था तथा कितने लोगों को सड़कों एवं नालों के साफ–सफाई का कार्य दिया गया था? 4. डोर–टू–डोर अपशिष्टों के संग्रह के लिए कितने लोगों एवं रिक्सा/वाहनों इत्यादि को लगाया था, कार्य का रोस्टर क्या था, प्रत्येक वाहन द्वारा कितने घरों को कभर किया जा रहा था इत्यादि का विवरण कृप्या अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, यह भी बताया जाए कि एक कुली को कितने घरों से कूड़ा का उठाव करना नियत किया गया था। 5. जिन लोगों को डोर–टू–डोर अपशिष्टों का संग्रह करने का कार्य दिया गया था उनलोगों द्वारा उन घरों से अपशिष्टों का उठाव किया जा रहा था अथवा नहीं को नगर निगम कार्यालय द्वारा कैसे मॉनिटरिंग किया जात है? 6. संबंधित वार्ड के लोगों के फिडबैक लेने का प्रावधन कैसे किया गया था कि उनके घरों से नियमित कूड़ा का उठाव कूली द्वारा किया जा रहा है अथवा नहीं।	1. वर्त्तमान में डोर–टू–डोर कूड़ा का संग्रहण का कार्य किया जा रहा है। 2. पर्यवेक्षीय कर्मचारियों के द्वारा इसकी मोनिटरींग की जाती है तथा वार्ड में संबंधित लोगों से इसका सत्यापन कराया जाता है। प्रत्येक वार्डों में दो से तीन मजदूर डोर–टू–डोर कूड़ा संग्रहण कार्य में लगे हुए है। शेष मजदूरों से सड़को एवं नालों के साफ–सफाई का कार्य लिया जा रहा है।
सं0 स्था.ले.प. /सा.प्र. –15 दिनांक–14.09.2018	अंकेक्षण में कृपया स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम कार्यालय द्वारा अभी तक 7946 घरों को डोमेस्टिक बीन घरों से अपशिष्टों के संग्रहण के लिए क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया? साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि न्यूनतम दर वाले डोमेस्टिक बीनों के क्रय की स्वीकृति क्यों नहीं दी गयी, जिसके कारण नगर निगम कार्यालय को कुल राशि 74.25 लाख की हानि हुई ?	डस्टबिन का क्रय जेम पोर्टल द्वारा मानकों के अनुसार किया जा रहा है।
सं0 स्था.ले.प. /सा.प्र.–16 दिनांक –14.09.2018	1. नगर निगम कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका अधिनियम के अनुपालन में स्थापना सूची को तैयार कर अनुरक्षित क्यों नहीं किया गया है? 2. नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रत्येक वर्ष स्थापना सूची को सशक्त स्थायी समिति के विचारार्थ प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया तथा मुख्य पार्षद द्वारा नगरपालिका का बजट प्राक्कलन पेश किये जाने के पूर्व इसे नगरपालिका बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत क्यों नहीं किया गया? 3. नगर निगम बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति द्वारा निर्दिष्ट कर्मचारियों के पदो के विरूद्ध संविदा अथवा दैनिक आधार पर कितने कर्मियों को प्रति वर्ष रखने की स्वीकृति दी गयी थी, का वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि का विवरण कृपया उपलब्ध कराया जाए। 4 वर्डवार एवं सड़कवार सफाई मजदूरों के स्वीकृत रोस्टर कृपया अंकेक्षण में प्रस्तुत किया	4. सफाई मजदूरों के मार्च–2018 के बायोमेट्रिक उपस्थिति विवरणी की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। साथ ही आपत्ति संख्या 1, 2, 3 एवं 5 का विस्तृत जवाब इसके साथ संलग्न है। परिशिष्ट 4 पर

	जाए जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि नगर निगम बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति द्वारा स्वीकृत कर्मियों के विरूद्ध ही इन्हे रखा गया है। साथ ही, मार्च 2018 के लिए इन कर्मियों के Engagement programme की कॉपी कृपया अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 5. नगर निगम कार्यालय द्वारा मार्च 2018 में 591 स्वीकृत पदो के विरूद्ध 1176 कर्मियों को किस आधार पर रखा गया है ? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि स्वीकृत पदों से अधिक कर्मियों को रखने की अनुमति बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति द्वारा कब दी गयी थी तथा इसपर राज्य सरकार की मंजूरी कब प्राप्त की गयी थी ?	
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–17 दिनांक –14.09.2018	1. नगर निगम के कितने वार्डो में तथा कितने होल्डिंग्स को नीला एवं हरा डस्टबीन उपलब्ध कराया गया है। इससे संबंधित विवरण एवं अभिलेख कृपया अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाय। 2. जैव निम्नीकरणीय, गैर जैव निम्नीकरणीय ¼ पुनर्चकण योग्य तथा ½ दहनयोग्य स्वास्थ्यकर अपशिष्ट और घरेलू, परिसंकटमय अपशिष्ट के रूप में स्त्रोत पर पृथक्करण एवं स्त्रोत पर पृथक्कृत अपशिष्टों को अलग अलग डिब्बों में भंडारण करने के संबंध में सूचना, शिक्षण और संचार अभियान के माध्यम से लोक जागरूकता का सृजन करना और अपशिष्ट उत्पन्न करनेवालों को जानकारी देने के संबंध में क्या कार्रवाई की गयी?	1. वार्ड में उपलब्ध कराये गये डस्टबिनों की सूची इसके साथ संलग्न है।(परिशिष्ट 5 पर) सीडी। 2. तत्संबंधित सूचना लोक जागरूकता हेतु प्रसारित कराया गया है।
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–18 दिनांक–14.09.2018	अंकेक्षण में कृपया बताया जाए कि नगर निगम कार्यालय द्वारा नगर निगम क्षेत्र को कब तक खुले में शौच से मुक्त करने की कार्य योजना तैयार की गयी है तथा इसके लिए क्या प्रयास किये गये है?	लक्ष्य के अनुरूप व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण हो चुका है। मोबाईल शौचालय के क्रय हेतु GEM PORTAL पर आदेश निर्गत हो चुका है, जिस क्रम में 06 चलन्त शौचालय निगम में प्राप्त हो चुका है। सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु निविदा मांगी गई है। माननीय वार्ड पार्षदों से निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्राप्त होते ही निगम क्षेत्र को ODF घोषित कर दिया जायेगा।
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–19 दिनांक–14.09.2018	निगम कार्यालय द्वारा वित्तीय वर्ष 2012–13 से 2017–18 की अवधि में अपशिष्टों को अलग–अलग करने के लिए यदि जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया है तो उसका विवरण एवं उससे संबंधित अभिलेखों को अंकेक्षण में उपलब्ध कराया जाय।	जागरूकता का कार्यक्रम चलाया गया था। जिसमें ली गई कुछ फोटों की कॉपी संलग्न की जा रही है। (परिशिष्ट 6 पर)
सं0 स्था.ले.प./सा.प्र.–20	1. कूड़ा संग्रह स्थल के प्राधिकार के लिए निगम कार्यालय द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद को प्राधिकार के लिए कब आवेदन भेजा गया? कृपया आवेदन की प्रति प्रस्तुत की जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि इतना विलम्ब से आवेदन क्यों किया गया? 2. बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा अभी तक प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया है	प्राधिकार हेतु भेज दी जाएगी।

दिनांक –15. 09. 2018	अथवा नहीं से अवगत कराया जाए तथा यदि प्राधिकार पत्र निर्गत किया गया है तो उसकी प्रति कृपया प्रस्तुत की जाए। 3. कूड़ा संग्रह स्थल पर नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन और हथालन) नियम, 2000 के अनुपालन में इस स्थल पर Weight Bridge, रौशनी की व्यवस्था, मजदूरों के लिए प्राथमिक उपचार इत्यादि की व्यवस्था क्यों नहीं की गयी है? 4. निष्पादन स्थलों पर अपशिष्टों के गिराने से प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभाव न पड़े, के लिए निगम कार्यालय द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है? 5. इस कार्य में संलग्न सफाई कर्मियों के स्वास्थ्य की आवधिक जॉच के साथ ही सुरक्षा के संबंध में निगम कार्यालय द्वारा क्या व्यवस्था की गयी है?	
सं0 स्था.ले. प./सा. प्र.–21 दिनांक– 15.09. 2018	अंकेक्षण में कृपया स्पष्ट किया जाए कि अपशिष्टों का निष्पादन डंपिंग स्थल के बाहर क्यों किया गया तथा नगर निगम कार्यालय द्वारा डंपिंग स्थलों पर पहुँचने वाले वाहनों का पंजी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए ? साथ ही, यह भी बताया जाए कि वाहन निर्धारित डंपिंग स्थल पर ही अपशिष्टों को गिरा रहे थे, को नगर निगम कार्यालय द्वारा कैसे सुनिश्चित किया गया था?	दिनांक 17.07.2017 के संबंध में कूड़ा डंपिंग स्थल रौतनिया में संधारित होने वाली पंजी की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। सफाई अभियान एवं नाला उड़ाही कार्य के क्रम में नाला का शिल्ट और कूड़ा की अधिकता के कारण ससमय त्वरित नाला का शिल्ट और कूड़ा का त्वरित निष्पादन हेतु शहर से बाहर कूड़ा और नाले से निकाला गया सिल्ट गिराया गया। इस संबंध में सभी चालको को निदेश दिया गया है कि वे रौतिनिया डंपिंग स्थल पर ही कूडा एवं सिल्ट गिरायेंगे। परिशिष्ट पर
सं0 स्था.ले. प. /सा. प्र.–24 दिनांक –15. 09. 2018	1. नगर निगम के लिए अनुमानित Sewage Network की लम्बाई कितनी है तथा स्वीकृत Sewage Network कितना भाग को कभर किया जा रहा है ? 2. वर्तमान में नगर निगम क्षेत्र से प्रतिदिन कितने मिलियन लीटर जल एवं मल निर्यास के पानी का बर्हिस्त्राव होता है? 3. अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप नगर निगम क्षेत्र में जल निर्यास तथा मल निर्यास के लिए अलग–अलग नालों और प्रणाली (सीवरों) को नहीं बनाये जाने एवं निगम क्षेत्र में सिवरेज ट्रिटमेंट प्लांट अभी तक स्थापित नहीं करने का कारण बताया जाय। 4. City sanitation plan के आलोक में क्या कार्रवाई की गयी है, से अंकेक्षण को अवगत कराया जाय। साथ ही, City sanitation plan की एक प्रति अंकेक्षण को उपलब्ध कराया जाय।	मुजफ्फरपुर नगर निगम क्षेत्रान्तर्गत Sewage Network नहीं है।
सं0 स्था.ले. प. /सा.	1. विभाग द्वारा विमुक्त कुल राशि रू0 12704883 से कितने शौचालयों एवं चापाकलों का निर्माण करना था का स्वीकृत विवरण/डी0पी0आर0 की प्रति संचिका संलग्न क्यों नहीं है ? कृपया इसकी प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 2. विभाग द्वारा जिन 11 मलिन बस्तियों के स्वीकृत योजनाओं के लिए राशि विमुक्त की	1. स्वीकृत मलिन बस्ती की डी0पी0आर0 से S.S.V.S. के द्वारा सिर्फ शौचालय एवं चापाकल का निर्माण ही किया जाना था। जिसकी डी0पी0आर0

प्र.–25 दिनांक –18. 09. 2018	गयी थी उनके सभी योजनाओं का क्रियान्वयन न कर सरकार के निदेशों के विरूद्ध अन्य संवर्द्धन सामुहिक विकास समितियों एवं स्वयं सहायता समूहों को राशि रू0 6367140 क्यों विमुक्त किया गया था, जो कि बिहार लेखा नियमावली, 2014 के नियम 69 (2) (घ) का उल्लंघन है? क्या इस राशि के विचलन के लिए राज्य सरकार (अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारी) से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी ? कृपया इसकी प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 3. इस राशि से 98 स्वयं सहायता समूहों को राशि 980000 का भुगतान किस आधार पर एवं किस प्राधिकारी के आदेश पर किया गया ? कृपया इसके भुगतान आदेशों की प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 4. इस राशि से रू0 1348785 उत्प्रेरक इंटरप्राईजेज को एल ई डी लगाने के लिए भुगतान क्यों किया गया ? क्या इस राशि के विचलन के लिऐ राज्य सरकार (अनुदान स्वीकृतिदाता प्राधिकारी) से स्वीकृति प्राप्त कर ली गयी थी ? कृप्या इसकी प्रति अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 5. इस राशि का संधारण पॉच बैंक खाताओं में क्यों किया गया तथा राशियों को एक खाते से अन्य खातों में बार--बार स्थानांतरित क्यों किया गया ? सरकार के निदेशानुसार एक अनुदान की राशि के लिए एक बैंक खाते का संधारण क्यों नहीं किया गया ? 6. नगर निगम कार्यालय द्वारा यह कैसे सुनिश्चित किया गया कि संवर्द्धन विकास समितियों और स्वयं सहायता समूहों को विमुक्त की गयी राशि उनके ही खाते में जमा हुयी थी ? कृपया संव्यहारों से सबंधित बैंक विवरणियों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। 7. विभाग के निदेशानुसार इस राशि का उपयोग 15 नवंबर 2015 तक क्यों नहीं किया गया तथा सभी योजनाओं को इस समयावधि तक पूर्ण क्यों नहीं किया गया। इस अनुदान के विरूद्ध भेजे गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की विवरणी कृप्या अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए।	की छाया प्रति संचिका में संलग्न है। अन्य कार्य हेतु डी0पी0आर0 की मूल कॉपी विकास शाखा में संधारित है। पूर्व के वर्ष में भी अंकेक्षक के द्वारा उपरोक्त अंकेक्षण आपत्ति उठाई गई। जिसका सारे विपत्रों के साथ निराकरण कर विभाग को उपलब्ध कराई गई। 09 डी.पी.आर. की छाया प्रति संलग्न की जा रही है। परिशिष्ट 8 पर 2. अन्य योजनाओं के क्रियान्वयन एवं अन्य S.S.V.S. की डी0पी0आर0 की अनुमोदन प्रक्रिया में विलम्ब होने के कारण तत्कालिन प्रधान सचिव के सत्याहोपरान्त SSVS के द्वारा प्राप्त शौचालय विहिन परिवार को भारत सरकार के स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत शौचालय के अनुमोदित दर से सभी लाभार्थी का शौचालय निर्माण कराना सुनिश्चित किया जाय। क्योंकि ये सभी मलिन बस्ती के ही लाभार्थी है। ये राशि मलिन बस्ती के आधारभूत संरचना विकास के लिए उपलबध कराई गई है। 3. प्र0सं0 SPUR.PMU/166/NULM-~~3148~~ SM 8/D /2014/678/पटना दिनांक 24.10.2014 6. बैंक पास बुक से सुनिश्चित किया जाता है कि संबंधित SSVS या SHG के खाते में राशि हस्तांतरित हुई। परिशिष्ट 9 पर
सं0 स्था. ले.प./सा. प्र.–26 दिनांक–1 8.09.2018	अंकेक्षण में कृपया यह स्पष्ट किया जाए कि लेखा नियमावली, 2014 के लागू होने के चार वर्षों के उपरान्त भी नगर निगम कार्यालय द्वारा नियमानुसार उपरोक्त सभी अभिलेखों का संधारण निर्धारित प्रपत्र में क्यों नहीं किया जा रहा है तथा शेष आठ अभिलेखों के संधारण/असंधारण की स्थिति से भी लेखापरीक्षा को अवगत कराया जाए।	लेखा नियमावली, 2014 के अनुरूप कार्रवाई की जाएगी।
सं0 स्था.ले. प. /सा. प्र.–27 दिनांक	1. निगम कार्यालय द्वारा सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालय एवं मूत्रालयों की पर्याप्त संख्या के आकलन के लिए मापदण्ड का निर्धारण क्यों नहीं किया गया? 2. निगम क्षेत्र में आवश्यक सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों तथा मूत्रालयों की संख्या का आकलन निगम कार्यालय द्वारा कैसे किया गया ? 3. केन्द्र सरकार के उपरोक्त निदेश के आलोक में निगम क्षेत्र में कुल कितने सामुदायिक तथा सार्वजनिक शौचालययों की आवश्यकता का निर्धारण निगम कार्यालय द्वारा किया गया	1. सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि पर बसे लोगो का सर्वेक्षण कराया गया है। 2. सामुदायिक एवं सार्वजनिक शौचालयों के निर्माण हेतु सरकारी भूमि पर बसे लोगो का सर्वेक्षण कराया गया है। 3. सरकारी जमीन पर रहनेवाले परिवार के लिए 73

–18. 09. 2018	है तथा इसके विरूद्ध कितने शौचालयों का निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया है, से कृपया अंकेक्षण को अवगत कराया जाए। 4. नगर निगम द्वारा बनाये गये एवं संचालित किये जा रहे कुल सार्वजनिक एवं सामुदायिक शौचालयों तथा मूत्रालयों की विवरणी कृपया अंकेक्षण को उपलब्ध करायी जाए। 5. शौचालयों तथा मूत्रालयों की पंजी नगर निगम कार्यालय में क्यों नहीं संधारित की गयी है ? 6. उपरोक्त 11 शौचालय कब से निर्मित है ? 7. इन 11 शौचालयों में कितने कार्यरत है तथा इनके देख–रेख के लिए किन व्यक्तियों को नगर निगम कार्यालय द्वारा रखा गया है ? 8. इनमें से कितने शौचालयों में पुरूष एवं महिला के लिए पृथक–पृथक व्यवस्था की गयी है? 9. सिटी प्रोफाईल, 2010 को अंकेक्षण में कृपया प्रस्तुत किया जाए।	(18 Seated) स्थलों पर सामुदायिक शौचालय निर्माण हेतु स्थल का निर्धारण किया गया है। इसके अतिरिक्त 06 (12 Seated) सामुदायिक शौचालय का निर्माण हो चुका है, जिसमें Sanitary Work चल रहा है। 4. अंकेक्षण दल के समक्ष विवरणी उपलब्ध करा दिया जायेगा। 5. निदेशानुसार पंजी का संधारण किया जायेगा। 6. सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा निर्मित सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण संभवतः 35–40 वर्ष पूर्व हुआ था। 7. इनका संचालन सुलभ इन्टरनेशनल द्वारा किया जाता है। 8. सुलभ द्वारा निर्मित सभी सार्वजनिक शौचालयों में पुरूष एवं महिला के लिए पृथक–पृथक व्यवस्था है।
सं0 स्था. ले.प. /सा.प्र. –28 दिनांक– 18.09. 2018	1. नागरिकों के शिकायतों के निवारण के लिए नगर निगम कार्यालय द्वारा अप्रैल 2012 से दिसम्बर 2016 की अवधि में शिकायत निवारण प्रणाली की स्थापना क्यों नहीं की गयी थी ? 2. वित्तीय वर्ष 2012–13 से दिसम्बर 2016 की अवधि में नागरिकों के शिकायत निवारण के लिए निगम कार्यालय द्वारा क्या व्यवस्था की गयी थी ?	उक्त अवधि में शिकायत निवारण दूरभाष पर शिकायत प्राप्त कर वर्कशॉप द्वारा की जाती थी।
सं0 स्था.ले. प. /सा. प्र.–34 दिनांक –20. 09. 2018	1. नगर निगम कार्यालय द्वारा कैसे सुनिश्चित किया गया कि विमुक्त की गयी राशि सर्वे सूची में दर्शाये गये शौचालय विहीन परिवार को ही विमुक्त किया गया था तथा राशि उनके खाते में ही गयी थी ? कृपया सर्वे सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 2. नगर प्रबंधक, नगर निगम, मुजफ्फरपुर द्वारा नगर आयुक्त को जब यह सूचित किया गया कि 566 लाभुकों को द्वितीय किश्त की राशि प्रदान की गयी थी किन्तु उक्त लाभुकों में सर्वेक्षण सूची के मात्र 98 लाभुक ही शामिल थे तो कार्यालय द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गयी? साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए कि इस प्रतिवेदन के आलोक में क्या कार्यालय द्वारा विमुक्त की गयी सभी 3889 लाभूकों की जॉच सर्वे सूची से की गयी ? कृपया इससे अंकेक्षण को अवगत कराया जाए तथा नगर निगम कार्यालय द्वारा कुल कितने सर्वे सूची बाहर के लोगों को राशि विमुक्त की गयी है को भी बताया जाए। 3. इस मद की राशि का संधारण नगर निगम कार्यालय द्वारा बिहार नगरपालिका लेखानियमावली, 2014 के नियम 5 (1) के अनुकूल क्यों नहीं किया गया तथा इसकी राशि एक बैंक खाते में संधारित क्यों नहीं की गयी ? 4. जब नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रथम किस्त कुल 3889 लाभुकों एवम् द्वितीय किस्त कुल	1. सर्वे सूची में पाये गये शौचालय विहिन परिवारों का शौचालय निर्माण से पूर्व कर्मी द्वारा स्थल जॉच किया गया तथा स्थल जॉच में योग्य पाये गये व्यक्तियों को ही योजना का लाभ R.T.G.S के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरण कराया गया। 2. तथैव/सर्वे सूची में पाये गये शौचालय विहिन परिवारों का शौचालय निर्माण से पूर्व कर्मी द्वारा स्थल जॉच किया गया तथा स्थल जॉच में योग्य पाये गये व्यक्तियों को ही योजना का लाभ R.T.G.S के माध्यम से उनके खाते में राशि अंतरण कराया गया। 3. तदनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा निर्देशानुसार एक ही बैंक खाते में संधारित कर दी जाएगी। 4. शौचालयों के निर्माण हेतु प्रथम किस्त की राशि से

1769 लाभुको को दिया गया था तो विभाग को भेजे गये मार्च 2018 तक के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में केवल 1769 लाभुको के खातों में द्वितीय किस्त की राशि हस्तांतरित की गयी थी तो किस आधार पर विभाग को प्रेषित मार्च 2018 के मासिक प्रगति प्रतिवेदन में कुल 2470 शौचालयों को पूर्ण तथा 1530 शौचालयों को निर्माणधीन दर्शाया गया है अर्थात् कुल 4000 शौचालयों के निर्माण का कार्य किस आधर पर दर्शाया गया है?

लाभुकों द्वारा कार्य पूर्ण कर लेने एवं द्वितीय किस्त की राशि की माँग किये जाने संबंधी आवेदन प्राप्त होने पर मार्च-2018 तक 2470 लाभुकों द्वारा शौचालय निर्माण कार्य को जाँच के क्रम में पूर्ण पाया गया जिस आलोक में शौचालय निर्माण पूर्ण संबंधी प्रतिवेदन सरकार को भेजा गया परन्तु सरकार के निदेशानुसार शौचालय निर्माण स्थल का Geo Tagging Report मात्र 1769 का ही प्राप्त था जिस कारण 1769 लाभुकों को ही द्वितीय किस्त दिया गया।

5. नगर निगम कार्यालय द्वारा नगर विकास विभाग द्वारा निर्धारित लाभार्थियों के अतिरिक्त 142 किन लोगों को इस मद से राशि रू0 10.65 लाख का भुगतान किया गया तथा इनके चयन का आधार क्या था ? इसके लिए विभाग से इसकी स्वीकृति प्राप्त की गयी थी ?

6. नगर विकास एवं आवास विभाग के पत्रांक 03/SBM–01–21/2015–2639 दिनांक–30.11.2016 के आलोक में राशि रू0 101.76 लाख विभाग को वापस क्यों नहीं की गयी तथा इससे अन्य लोगों को भुगतान क्यों किया गया ?

7. प्रथम् किस्त अग्रिम की राशि विमुक्त करने के बाद 45 दिनों में शौचालय निर्माण कार्य पूर्ण कर लेना था। लेकिन प्रथम् किस्त की राशि प्रदान करने के 05 महीने से 29 महीने की समयावधि व्यतीत होने के उपरान्त भी 2120 (3889–1769) लाभूकों से नगर निगम कार्यालय द्वारा निर्धारित समयावधि में कार्य नहीं करवाने वाले लाभूकों के विरूद्ध विभाग के निदेशानुसार कार्रवाई की गयी ? लाभूको के विरूद्ध की गयी कार्रवाई से कृपया अंकेक्षण को सूचित किया जाए।

7. संबंधित लाभुकों की समय–समय पर निर्धारित अवधि के अंदर शौचालय निर्माण हेतु नोटिस निर्गत किया जाता है।

8. स्वच्छ भारत मिशन योजना से संबंधित रोकड़ बही की जॉच में पाया गया कि दिनांक–11.05.2016 को बैंक ऑफ बड़ौदा के खाता संख्या 508800100002391 से रू0 10000000 एच डी एफ सी बैंक के खाता संख्या 50100158066539 में हस्तांतरित की गयी थी। किन्तु रोकड़बही में इस खाते की प्रविष्टि नहीं पाई गयी कृपया उक्त राशि की उपयोगिता से संबंधित अभिलेख लेखा परीक्षा में प्रस्तुत की जाए।

8. रोकड़ बही में प्रविष्टि कर दी गई है।

9. स्वच्छ भारत मिशन योजना के अंतर्गत प्राप्त राशि से शौचालय विहीन परिवारों को व्यक्तिगत शौचालय का निर्माण करना था। इससे संबंधित रोकड़ बही की जॉच में पाया गया कि उक्त मद से शौचालय निर्माण के अलावे अन्य प्रयोजनों पर भी राशि रू0 5037797 खर्च की गयी (विवरणी परिशिष्ट में संलग्न)। कृपया अंकेक्षण में यह स्पष्ट किया जाए कि बिहार नगरपालिका नियमावली, 2014 के नियम 69 (2) के विरूद्ध इस मद का राशि का विचलन अन्य मदों के लिए क्यों किया गया? क्या इस विचलन की स्वीकृति अनुदान संस्वीकृतिदाता प्राधिकारी से प्राप्त कर ली गयी थी?

10. लाभूको के साथ लिये गये शौचालय स्थल एवं उसके निर्माण के दौरान लिये गये फोटोग्राफिक रिकार्ड को कृपया अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए एवं इस योजना का नगर निगम कार्यालय द्वारा किये गये जॉच प्रतिवेदनों को भी अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, यह भी स्पष्ट किया जाए, कि नगर निगम कार्यालय द्वारा यह कैसे सुनिश्चित किया

10. लाभुकों के साथ शौचालय निर्माण स्थल का Geo Tagging कराया जाता है, जिसे Portal पर Upload किया जाता है। जाँच प्रतिवेदन अंकेक्षण दल के समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा। लाभुकों को शौचालय निर्माण हेतु दिये गये प्रथम किस्त की राशि से शौचालय निर्माण कर लिये जाने के बाद निर्माण स्थल का Geo Tagging करा कर सुनिश्चित कर

	गया कि विमुक्त राशि का उपयोग लाभूकों द्वारा शौचालय निर्माण हेतु ही किया गया है और इस राशि का दुर्विनियोजन नहीं किया गया है ?	लिया जाता है कि लाभुकों द्वारा दिये गये राशि का दुर्विनियोजन नहीं किया गया है।
सं0 स्था.ले. प. /सा. प्र.–36 दिनांक –22. 09. 2018	1. नगर आयुक्त द्वारा संवर्द्धन सामुहिक विकास समितियों को बगैर मान्यता प्रदान किये राशि का भुगतान क्यों किया गया? 2. इन संवर्द्धन सामुहिक विकास समितियों को योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए कार्यादेश निर्गत क्यों नहीं किया गया ? 3. इन योजनाओं की जॉच के लिए किन–किन, कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की गयी थी तथा उनके द्वारा मापी पुस्त में इन योजनाओं की सूचना भर कर नगर निगम कार्यालय में अपने से उच्च पदाधिकारी को जॉच हेतु क्यों नहीं प्रस्तुत किया गया ? 4. इन योजनाओं का निरीक्षण एवं निर्माण की गुणवत्ता की जॉच के लिए किन सहायक अभियंताओं एवं कार्यपालक अभियंता की नियुक्ति की गयी थी और उनसे इन योजनाओं की जॉच प्रतिवेदन क्यों नहीं प्राप्त किया गया ? 5. नगर आयुक्त इन योजनाओं का निरीक्षण एवं निर्माण की गुणवत्ता की जॉच किए बगैर ही संवर्द्धन विकास समितियों को अगले किस्त की राशि का भुगतान क्यों किया गया ? नगर आयुक्त द्वारा कैसे सुनिश्चित किया गया था कि जिन लाभूको के लिए राशि विमुक्त की गयी थी उनके शौचालय का ही निर्माण संवर्द्धन विकस समितियों द्वारा की गयी थी ? 6. नगर विकस एवं आवास विभाग द्वारा चयनित 11 मलिन बस्तियों में किन–किन लाभार्थियों के शौचालय एवं चापाकल के निर्माण के लिए राशि विमुक्त की गयी थी ? कृप्या इसकी सूची अंकेक्षण में प्रस्तुत की जाए। 7. अभिलेखों में जिन लाभार्थियों की सूची संलग्न की गयी थी, उनका चयन किस आधार पर किया गया था तथा उनके यहॉ पूर्व से शौचालय नहीं था कि पुष्टि किसी प्राधिकारी द्वारा की गयी थी ? 8. जिन लाभार्थियों का फोटो शौचालय के साथ संलग्न किया गया है उसमें से अधिकांश का नाम लाभूकों की सूची से भिन्न क्यों है? जिन लाभार्थियों के नाम के विरूद्ध प्रथम किस्त की राशि कार्यालय द्वारा निर्गत की गयी थी उके शौचालय का निर्माण क्यों नहीं कराया गया? 9. जिन लाभार्थियों का फोटो शौचालय के साथ संलग्न किया गया है उसका पूर्ण विवरण फॉर्म में क्यों नहीं दर्शाया गया है एवं नगर निगम कार्यालय द्वारा इसका सत्यापन क्यों नहीं किया गया? 10 शौचालय के निर्माण का निरीक्षण प्रतिवेदन संचिकाओं में क्यों नहीं संलग्न किया गया एवं उसका पूर्णता प्रमाण पत्र नगर निगम कार्यालय द्वारा क्यों नहीं दिया गया है? 11. जब मई 2015 में नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा नगर निकायों में स्वच्छ भारत मिशन योजना को प्रारम्भ किया जा चुका था तथा इस योजना की राशि का 15 नवम्बर	1. ग्रेडिंग के उपरान्त ही अनुबन्ध किया गया इसके उपरान्त ही कार्य सुनिश्चित करने के लिए राशि भुगतान की गई। 2. आदेश फलक के उपरान्त ही राशि भेजी गई एवं कार्य सुनिश्चित किया गया। 4. स्पर द्वारा SSVS की तकनीकि एवं लेखा प्रशिक्षण के उपरान्त स्पर टीम की देख–रेख में ही निर्माण किया जाता रहा है। चूँकि ये व्यक्तिगत शौचालय सभी लाभार्थी के द्वारा ही निर्माण किया जाना है। सामुदायिक एवं सामूहिक शौचालय कनीय अभियंता की देख–रेख में निर्माण किया जाता है। 5. कंडिका 4 में वर्णित है। पूर्व के कार्य उपरान्त ही उपयोगिता जमा करने एवं कार्य सुनिश्चित होने के बाद अगली राशि दी जाती थी। 6. शौचालय लाभार्थी का नाम DPR में दृष्टव्य है एवं चापाकल मलिन बस्ती के जनसंख्या के आधार पर किया गया। (DPR विकास शाखा में संधारित है।) 7. मलिन बस्ती में स्पर संस्था के द्वारा एवं नगर विकास एवं आवास विभाग से भेजी गई निदान संस्था की देख–रेख में जिनके पास शौचालय नहीं रहता है उनकी नाम की सूची गठित कमेटी की देख–रेख में तैयार हुई थी। पूर्व में भी इसकी जानकारी दी जा चुकी है। 8. लाभार्थियों का चयन संवर्धन सामुहिक विकास समिति की स्वतंत्रता थी जिसके पास शौचालय नहीं है उनको बनाना है। 9. क्योंकि मलिन बस्ती की महिलाएँ ज्यादा पढ़ी नहीं है इसलिए फोटों के साथ विवरणी में आधार कार्ड की छाया प्रति संलग्न कर साथ ही जीओ टैगिंग के द्वारा पोर्टल पर भी अपलोड किया जा चुका है।

	2015 तक पूर्ण उपयोग करने का निदेश विभाग द्वारा दिया जा चुका था तो उसके उपरान्त नगर निगम कार्यालय द्वारा क्यों नये लाभार्थियों जिनका इस योजना में चयन भी नहीं किया गया था के शौचालय निर्माण के लिए निदंक 17.12.2015 से दिनांक–13.06.2016 की अवधि में राशि रू0 6353350 विभिन्न संवर्द्धन सामुहिक विकास समितियों को निर्गत किया गया था? 12. जब इस योजना के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों के लिए प्रति शौचालय विभाग द्वारा राशि रू0 18500 विमुक्त की गयी थी, तो नगर निगम कार्यालय द्वारा किस आधार पर 34 अचिन्हित संवर्द्धन सामूहिक विकास समितियों को रू0 12000 प्रति शौचालय (स्वच्छ भारत मिशन के लिए निर्धारित दर) की दर से शौचालय निर्माण के लिए राशि निर्गत की गयी ? 13. इस योजना की राशि से 98 स्वयं सहायता समूहों को प्रति समूह रू0 10000 की दर से राशि रू0 9.80 लाख का भुगतान क्यों किया गया? क्या इसके लिए विभाग से स्वीकृति प्राप्त की गयी थी? 14. कुल 1481 शौचालयों के निर्माण के लिए निर्गत राशि के विरूद्ध संचिका में मात्र 1299 लाभूकों की ही सूची क्यों संलग्न है और इसके विरूद्ध मात्र 807 अपूर्ण फॉर्म के साथ सूची से अधिकांशतः भिन्न नामों वाले लाभूकों के शौचालय निर्माण का फोटो संचिकाओं में क्यों संलग्न किया गया था ?	13. प्र0सं0 SPUR.PMU/166/NULM-~~3148~~ SM8JD /2014/678/पटना दिनांक 24.10.2014 परिशिष्ट 9 पर
	अनुरोध है कि उपरोक्त बिन्दुओं का जवाब अंकेक्षण को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाए तथा जवाब की पुष्टि में संबंधित अभिलेखों एवं साक्ष्यों को संलग्न किया जाए। उपरोक्त अभिलेखों के अनुपलब्धता के कारण अंकेक्षण द्वारा इस राशि से किये गये को व्यय को सुनिश्चित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में इस राशि के दुर्विनियोजन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त अनुरोध किया जाता है कि संवर्द्धन सामूहिक विकास समितियों को शौचालय निर्माण के लिए मलिन बस्ती योजना मद से निर्गत की गयी राशि रू0 10028862 एवं स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) से निर्गत की गयी राशि रू0 6141400 (सं.स्था. ले.प./सा.प्र.–1/पी.के.–35 दिनांक–22.09.2018) अर्थात् कुल राशि रू0 16170262 से निर्मित शौचालयों की उपरोक्त बिन्दुओं के आलोक में संपूर्ण जॉच कराकर जॉच प्रतिवेदन से महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार, सामाजिक प्रकोष्ठ–1, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना–800001, को सूचित किया जाए जिससे वास्तविक स्थिति को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित किया जा सके।	श्रीमती रूबी कुमारी सी.एम.एम.यू.एल.एम. द्वारा प्राप्त उत्तर की छाया प्रति संलग्न है। परिशिष्ट 10 पर
सं0 स्था. ले.प. /सा.प्र 37 दिनांक 2	अंकेक्षण में कृपया स्पष्ट किया जाए कि नगर निगम कार्यालय द्वारा मार्च 2018 में 591 स्वीकृत पदो के विरूद्ध कुल 1199 कर्मियों को किस आधार पर रखा गया है ? साथ ही यह भी स्पष्ट किया जाए कि स्वीकृत पदों से अधिक कर्मियों को रखने की अनुमति बोर्ड/सशक्त स्थायी समिति द्वारा कब दी गयी थी तथा इस पर राज्य सरकार की मंजूरी	विस्तृत जवाब इसके साथ संलग्न है। परिशिष्ट 11 पर

2.09. 2018	कब प्राप्त की गयी थी ?		
सं0 स्था.ले. प./सा. प्र.–38 दिनांक–22.09. 2018	1. आवश्यकता से अधिक वाहन नगर निगम में उपलब्ध रहने के बावजूद नगर निगम कार्यालय द्वारा ट्रैक्टरों को भाड़ा पर क्यों रखा गया था ? 2. नगर निगम कार्यालय द्वारा प्रस्तुत विवरणी के अनुसार जून 2015 से सितम्बर 2016 तक कुल 8 वाहन भाड़ा पर लिया गया है। इस में से 5 वाहनों से संबंधित संचिकाएँ लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया गया। शेष 3 वाहनों (BRO6J 1723, BR33A 9285 एवं BR33A 8969) पर व्यय की गयी कुल राशि का विवरण लेखा परीक्षा में प्रस्तुत किया जाए।	1. दिनांक 21.07.2017 के संबंध में सूचित करना है कि सफाई कार्य हित में सशक्त स्थायी समिति में लिये गये निर्णय के अनुपालन में सफाई व्यवस्था को सुव्यवस्थित करने हेतु भाड़ा पर सफाई वाहन रखकर कार्य कराया जा रहा है। परिशिष्ट 12 पर संलग्न। 2. शेष तीन वाहनों पर व्यय की गयी कुल राशि का विवरणी अगले लेखा परीक्षा के समक्ष उपस्थापित कर दिया जायेगा।	
सं0 स्था.ले. प./सा.प्र. –39 दिनांक–22 .09.2018	अंकेक्षण में कृपया स्पष्ट किया जाए कि जब इन टीपरों की आवश्यकता नहीं थी तो निगम कार्यालय द्वारा इनका क्रय क्यों किया गया ?	नगर निगम में उपलब्ध टिपरों से सभी वार्डों में ससमय कूड़ा का उठाव नहीं हो पाता था। निगम बोर्ड में लिये गये निर्णय के आलोक में क्रय किया गया। (छाया प्रति संलग्न) परिशिष्ट 13 पर।	
सं0 स्था. ले.प./सा. प्र.–40 दिनांक–22.09.2018	अंकेक्षण में कृप्या स्पष्ट किया जाए कि किस आधार परे 27 वार्डों के अपशिष्टों का पृथक्करण बताया गया है। कृपया इसके अभिलेखों को अंकेक्षण में प्रस्तुत किया जाए। साथ ही, यह भी बतलाया जाए कि नगर निगम कार्यालय के अन्य वार्डों के अपशिष्टों का पृथक्करण अभी तक क्यों नहीं प्रारम्भ किया गया ह ?	वर्त्तमान में 49 वार्डों में से 35 वार्डों में कचड़ा के पृथक्कीकरण हेतु हरा एवं नीला डस्टबीन वितरित किया जा चुका है। सूची संलग्न। (परिशिष्ट 5 पर)	

12/12/18.
नगर आयुक्त
मुज0 नगर निगम, मुजफ्फरपुर